न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–645/2020(जीसीएमएस नं. 2020/00679)

1. साधुसिंह पुत्र उमराव सिंह जाति राजपूत निवासी ढाणी कानपरा तन खेड़ा तहसील बानसूर जिला अलवर।

––अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार बानसूर बहैसियत भू धारक बानसूर जिला अलवर, राजस्थान।

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः–

1. श्री अनिल कुमार गुप्ता एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट की ओर से

निर्णय

दिनांकः 10.11.2022

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.04.2013 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि पटवारी हल्का खेड़ा ने भू अभिलेख निरीक्षक के हस्ताक्षरयुक्त रिपोर्ट की कि अपीलार्थी ने ग्राम खेड़ा की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 413 रकबा 0.42 हैक्टयर, खसरा नम्बर 414 रकबा 3.67 हैक्टयर में से 0.25 हैक्टयर किस्म चारागाह में रकबे पर सम्वत् 2069 फसल खरीफ/रबी में सरसों की फसल बोकर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है जिस पर प्रकरण दर्ज कर अपीलार्न्थी को नोटिस जारी किये जाने पर अपीलान्ट द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया गया कि विवादित आराजी अपीलार्थी की खरीदशुदा आराजी है जिसे दौराने बन्दोबस्त सम्वत् 2020 में बन्दोबस्त कर्मचारीयों द्वारा उक्त रकबे को सहवन से चारागाह दर्ज कर दिया गया जिस आराजी का रकबा को दुरूस्त किये जाने के लिये दावा किया गया है जिसकी अब अपील राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है जो कि अंतिम बहस में है। इस प्रकार उक्त निर्णय के आने तक कार्यवाही को स्थगित किया जावें जिस पर अपीलार्थी के द्वारा समस्त दस्तावेजात पेश किये गये लेकिन दोनों अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा तथ्यों एवं दस्तावेजों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किये गये है जो आदेश विधि विरूद्ध एवं न्यायिक प्रक्रिया के विपरित होने से खारिज योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस आराजी के सम्बन्ध में जो आदेश पारित किय गये है वो अराजी खसरा नम्बर साबिक खसरा नम्बर 256 व 257 के खातेदार धुड़सिंह एवं जयमल बन्दोबस्त सम्वत् 2020 से पूर्व खातेदार काश्तकार थे जिसके द्वारा उक्त आराजी का बैचान अपीलान्ट को दिनांक 15.06.1964 को किया गया था लेकिन दौरान बन्दोबस्त सम्वत् 2020 में आराजी खसरा नम्बर 338 में साबिक

P.T.O.

खसरा नम्बर 256 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 257 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा शामिल कर चारागाह में दर्ज कर दिया और आराजी खसरा नम्बर 338 रकबा 16 बीघा 3 बिस्वा से हाल खसरा नम्बर 413 व 414 कायम किये गये उक्त रिकार्ड को दुरूस्त किये जाने के अपीलान्ट के द्वारा दावा किया गया था जो दावा खारिज किये जाने पर राजस्व मण्डल के समक्ष अपील विचाराधीन है। इस प्रकार अपीलान्ट के द्वारा उक्त रकबे पर कोई अतिक्रमण नही किया गया बल्कि अपीलान्ट की खातेदारी की आराजी पर काबिज है जिस तथ्य पर दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कतई गौर नही कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन दिनांक 10.04.2013 एवं तहसीलदार बानसूर जिला जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.12.2012 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में चारागाह भूमि दर्ज है जिस पर अपीलार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा करने पर ही तहसीलदार बानसूर द्वारा अपीलान्ट पर शास्ती आरोपित करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किये गये जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर द्वारा भी अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त ही गुणावगुण पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.04.2013 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार वादग्रस्त आराजी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में चारागाह भूमि दर्ज होने से अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी पर किसी प्रकार का अतिक्रमण करने को कानूनन अधिकारी नही है तथा यदि वादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थी के किसी प्रकार के हक हकूक अधिकार बनते है तो इसके लिये अपीलान्ट को सक्षम न्यायालय में नियमित दावे के माध्यम से ही अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज योग्य प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.04.2013 को यथावत रखा जाता है।

(अन्तरसिंह नेहरा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 10.11.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।
10/11/22